5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुर्नविलोकन– 6269/2018/शाजापुर/भू.रा.

(52)

श्री ... द्वारा आज दि. 05/11/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15/11/18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 5/11/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

05/11/18
(L.S. Dhaneria Adv.)

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
4.01
01 14
5/11/18

1– कनीराम पुत्र पर्वत बलाई

2– अयोध्याबाई पत्नी देवीलाल

3– प्रेमबाई पत्नी रामचंन्द्र

4– बालू पुत्र नारायण बागरी

5– नारायण पुत्र चैना

6– मांगीलाल पुत्र पुरा बागरी

7– तुलसीराम पुत्र मांगीलाल

8– कैलाश पुत्र बनेसिंह

9– लालू पुत्र कालू बलाई

10– मौडसिंह पुत्र बल्लदेव सिंह

11– बलदेव फौत वारिसान–
सायरबाई वेवा बलदेव

12– शिवनारायण पुत्र कालू

13– गोपाल पुत्र हरीसिंह

14– श्यामगाई पत्नी पीरू

15– मनोहर पुत्र हरिसिंह

16– नन्दु प्रत्र सिद्धू बागरी

17– बाबू पुत्र गॅफूर खॉ

18– सिद्धू पुत्र जगन्नाथ भील

19– रतन पुत्र छीता बेलदार

20– कमलाबाई पत्नी पर्वत फौत वारिसान–
वीरू वुत्र पर्वत

21– प्रकाश पुत्र पर्वत फौत वारिसान– श्यामुबाई

22– पीरूलाल पुत्र हरीसिंह भील समस्त
निवासीगण– ग्राम पिपल्या नौलाय, तहसील
मोमनबडोदिया, जिला शजापुर (म.प्र.)

.............आवेदकगण

बनाम

1– म.प्र.शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
जिला शाजापुर म.प्र.

2– सरपंच ग्राम पंचायत लसूडिया जगमाल,
जनपद पंचायत मामन बडोदिया, जिला
शाजापुर ..... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 963/एक /2011 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6269/2018/शाजापुर/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक श्री लखनसिंह धाकड़ द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	